कार्यालय जिला परिषद्, नवादा।

आम सूचना।

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि जिला परिषद, नवादा के निम्नांकित बस एवं वाहन पड़ाव/बाजार एवं सैरात का दिनांक 01.05.2014 से 31.03.2015 तक की अवधि के लिए दैनिक चुंगी वसूली हेतु दिनांक 22.04.2014 को 11.00 बजे पूर्वाहन में समाहरणालय, नवादा स्थित विकास भवन, के सभागार कक्ष में उप विकास आयुक्त –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नवादा द्वारा बन्दोवस्ती की जायेगी।

निर्धारित तिथि को सभी सैरातों की बन्दोवस्ती नहीं होने की स्थिति में पुनः दिनांक 26.04.2014 एवं अंतिम रूप से दिनांक 30.04.2014 को उक्त वर्णित समय एवं स्थान पर शेष सैरातों की बन्दोवस्ती पूरी की जायेगी। नियम एवं शर्तो की जानकारी के लिए जिला का वेवसाइट www.nawada.bih.nic.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

इच्छुक डाकवक्ता निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर स्वयं डाक में भाग ले सकते हैं–

बस पड़ाव एवं टैक्सी/दैनिक बाजार की चुँगी का नाम	स्थल	अग्रधन की राशि	सुरक्षित जमा राशि
2	3	4	5
बस पड़ाव बुधौल, खाता नं0 252, खेसरा नं0 1101 रक्वा 4 एकड	समाहरणालय विकास भवन, नवादा में	915860.00	9158600.00
दैनिक चुंगी वसूली बाजार पकरीबरावॉ खाता नं0 2614 खेसरा नं0 12803,12091,12092,13086,10599,10600 किस्म सड़क जिला परिषद सड़क के दोनों किनारे	,,	16899.00	168994.00

सामान्य शर्ते :–

(1) डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित अग्रधन की राशि रोकड़पाल, जिला परिषद्, नवादा के पास मूल रसीद प्राप्त कर जमा करना अनिवार्य होगा।
(2) बन्दोवस्तधारी को बस पड़ाव एवं बाजार में दैनिक चुंगी की वसुली निर्धारित दर के अधीन करना होगा।
(3) डाकवक्ता को डाक बोलने के पूर्व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अध्तन आवासीय एवं चरित्र प्रमाण पत्र जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
(4) जिस डाकवक्ता के पास पूर्व से बकाया लंबित होगा। उन्हें डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
(5) उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति के साथ एकरारनामा के पश्चात द्वितीय एवं शेष डाकवक्ता की अग्रधन राशि लौटा दी जाएगी।
(6) डाकवक्ता को काली सुची में दर्ज नहीं रहने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा ।
(7) अद्योहस्ताक्षरी को बन्दोवस्ती को पूर्ण या आंशिक रूप से रदद करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

17.4.14

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, नवादा।

ज्ञापांक –341 /जि0प0 नवादा दिनांक –17/4/2014

प्रतिलिपिः– अनुमण्डल पदाधिकारी, नवादा/रजौली, जिला अभियंता, जिला परिषद, नवादा/जिला जनसम्पर्क पदा0, नवादा/कार्यापालक पदा0, नगर परिषद, नवादा/सभी प्रखण्ड विकास पदा0/सभी अंचलाधिकारी, जिला –नवादा को सूचनार्थ एवं जानकारी हेतु कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन हेतु प्रेषित ।

17.4.14

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, नवादा।

कार्यालय जिला परिषद्, नवादा।

जिला परिषद्, नवादा द्वारा बस एवं टैक्सी पड़ावों की बन्दोवस्ती के नियम एवं शर्त्त

1) जिला परिषद्, नवादा द्वारा संचालित बस एवं टैक्सी पड़ाव की बन्दोवस्ती खुले डाक द्वारा की जायेगी।

(2) डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि के पूर्व अग्रधन की राशि प्राप्ति रसीद लेकर श्री आदित्य सिंह, रोकड़पाल, जिला परिषद्, नवादा को जमा करना आवश्यक होगा।

(3) उच्चतम डाक की राशि का एक चौथाई राशि उसी समय जमा करना होगा एवं शेष राशि तीन समान किस्तों में प्रथम किस्त दिनांक 31.07.2014, द्वितीय किस्त दिनांक 30.09.2014 तथा तृतीय किस्त दिनांक 31.12.2014 तक जमा करना होगा। उक्त राशि जमा नहीं होने पर बन्दोवस्ती स्वतः रद्द माना जायेगा। बकाया राशि की वसूली की निलाम पत्रवाद दायर कर कार्रवाई की जायेगी। साथ ही साथ एकरारनामा के शर्त्तों के उल्लंघन के लिए भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

(4) अत्याधिक स्पर्धा की जैसे–जैसे डाक की राशि बढ़ेगी वैसे–वैसे अनुपातिक राशि जमा करने के पश्चात ही डाकवक्ता आगे बोली बोल सकेंगे।

(5) किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था- प्राकृति आपदा वाहन हड़ताल तथा अन्य स्थानीय कारणों से हानि की स्थिति में बन्दोवस्ती की राशि में किसी तरह की छूट अथवा क्षतिपूर्ति करने का दायित्व जिला परिषद् पर नहीं होगी।

6) जिला परिषद् का पूर्व बकायादार डाक में भाग नहीं ले सकेंगें। पूर्व बकायेदार डाक प्रारम्भ होने के पूर्व बकाया राशि जमा कराकर प्राप्ति रसीद के साथ डाक में भाग ले सकेंगें।

(7) उच्चतम डाक की पूरी राशि निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करने पर अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी अन्य आवेदकों के साथ क्रमानुसार यह प्रक्रिया लागु रहेगा।

(8) नियम एवं शर्त्त के तहत बस एवं टैक्सी पड़ाव की बन्दोवस्ती तथा एकरारनामा करने के बाद अन्य आवेदक का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।

(9) सफल डाकवक्ता को बन्दोवस्ती राशि का तीन प्रतिशत राशि का निबन्धन विभाग के स्टाम्प पेपर पर जिला परिषद नवादा के साथ एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा करना होगा। एकरारनामा/निबन्धन का खर्च बन्दोवस्तधारी को स्वयं वहन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर बन्दोवस्ती मान्य नहीं होगी एवं उच्चतम दूसरे डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती कर दी जायेगी।

(10) निर्धारित चुंगी के अतिरिक्त राशि वसूली किये जाने पर 5000.00 (पाँच हजार) रूपये दंड के रूप में वसूलनीय होगी एवं डाकवक्ता का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

(11) बस एवं टैक्सी पड़ावों तथा दैनिक चुंगी की बन्दोवस्ती वर्ष 2014–15 (यानि दिनांक 01.05.14 से 31.03.15) के लिए की जा रही है।

(12) अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बस एवं टैक्सी पड़ाव की बन्दोवस्ती स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(13) जिला परिषद् द्वारा बन्दोवस्त की गयी दुकानदारों के अलावे सभी दुकानदार अवैद्य समझे जायेंगें।

(14) बस पड़ाव की सफाई एवं विधि व्यवस्था बन्दोवस्तधारी को स्वयं करना होगा।

(15) अपराधिक चरित्र के व्यक्ति के साथ बस एवं टैक्सी पड़ाव की बन्दोवस्ती नहीं की जायेगी।

(16) डाक समाप्ति के बांद सफल डाकवक्ता द्वारा बोली गई डाक की राशि की आधी राशि उसी समय कार्यालय में प्राप्त रसीद लेकर नगद जमा करना अनिवार्य होगा। अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि का समायोजन बाद मे किया जायेगा।

(17) इच्छुक व्यक्ति नियम एवं शर्त की जानकारी मो0 500.00 रूपये नगद जमा कर जिला परिषद कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

(18) यदि सफल डाकवक्ता डाक के समय बोली गयी उच्चतम डाक की राशि की आधी राशि को नगद जमा करने में असफल होंगे तो उनके द्वारा जमा की गयी अग्रधन राशि को जब्त कर ली जाएगी एवं द्वितीय अधिकतम डाकवक्ता के साथ सैरात की बन्दोवस्ती पर विचार किया जा सकता है।

(19) जिला परिषद् द्वारा चुंगी वसूली करने के लिये निम्नलिखित दर है :–

बस एवं टैक्सी पड़ाव बुधौल(नवादा) की चुंगी वसूली दर

1	बस	115.00
2	मिनी बस	70.00
3	टाटा मैक्सी	60.00
4	जीप	35.00
5	टेम्पो	10.00

17.5.14

उप विकास आयुक्त –सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, नवादा।